

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/01/0581/2019-20 220

भोपाल, दिनांक 5-9-2019

प्रति,

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
विदिशा।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में।

---00---

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) 2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें 11 वेतन, भत्ते 8888 - V मतदेय 009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	श्रीमती गीता बाई, भृत्य बी.ई.ओ. विदिशा	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड विदिशा के डी.डी.ओ. क्र. 4502003002	RS.16,141=00
योग:- रूपये सौलह हजार एक सौ इकतालीस मात्र			RS.16,141=00

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
6. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

निरंतर-2-

//2//

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 5-3-19

पृष्ठा. क्रमांक/बजट(ए)/01/0581/2019-20/291

2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला - विदिशा म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला - विदिशा म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारीगण सरल क्रमांक 1 पर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.